दिनांक 14.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 20/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बरेली/थाना सिरौली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 14.10.2024 को थाना सिरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त गौरे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिरौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौरे निवासी प्यास कस्बा व थाना सिरौली जनपद बरेली।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद फतेहपुर/थाना खागा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 14.10.2024 को थाना खागा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त बीर सिंह उर्फ लोटन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट

आदि के अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सुल्तानपुर घोष पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खागा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बीर सिंह उर्फ लोटन निवासी ग्राम धर्मदासपुर थाना थरियांव जनपद फतेहपुर।

जनपद फिरोजाबाद/थाना अरॉव

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 13.10.2024 को थाना अरॉव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अरॉव बाईपास के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इश्तयाक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नसीरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अरॉव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इश्तयाक निवासी नदराला थाना जसरथपुर जनपद एटा।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना जानकीपुरम

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 14.10.2024 को थाना जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–सुधीर 2–रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.10.2024 को थाना जानकीपुरम क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारिक की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुधीर निवासी दुर्गापुरम अर्जुनपुरवा थाना कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी।

2–रवि निवासी शिवपुरी थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी/धोखाधड़ी के 11 हजार रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 14.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोटी गोदाम तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–शहजाद 2–कल्लू उर्फ शहीद आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी/धोखाधड़ी के 11 हजार रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी/धोखाधड़ी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शहजाद निवासी मो0यासीनगंज थाना शहादतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2–कल्लू उर्फ शहीद आलम निवासी मो0यासीनगंज थाना शहादतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी/धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी/धोखाधड़ी के 11 हजार रूपये नगद।

3–04 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त अजीत को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त राममिलन को धारा 302/109 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फर्रूखाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 56 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कोतवाली फर्रूखाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/328/323/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अकबर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफ–महिला से सामूहिक बलात्संग करने वाले गैंग के मुख्य आरोपी एवं थाना कोढवा पुणे शहर (महाराष्ट्र) में पंजीकृत मु0अ0सं0 1122/2024 में वांछित अभियुक्त शोएब उर्फ अख्तर बाबू शेख प्रयागराज से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 14–10–2024 को एसटीएफ उ0प्र0 व पुणे पुलिस के साथ संयुक्त को थाना कोढवा पुणे शहर महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0 1122/2024 धारा मु0अ0सं0–1122/2024 धारा–70(1)/126(2)/115(2)/309(6)/352/351(2)/351(3) बी0एन0एस0 व 4/25 आर्म्स एक्ट व 37(1)/135 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम में वांछित अभियुक्त शोएब उर्फ अख्तर बाबू शेख को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

शोएब उर्फ अख्तर बाबू शेख पुत्र बाबू निवासी आदर्श नगर मंतरवाड़ी पुणे महाराष्ट्र।

बरामदगीः

1. 01 अदद मोबाइल।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

डेज मेडिकल तिराहा के पास थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज, दिनांक 14–10–2024 समय–12:30 बजे।

दिनांक 04–10–2024 को थाना कोढवा जनपद पुणे शहर, महाराष्ट्र में मु0अ0सं0 1122/2024 धारा–70(1)/126(2)/115(2)/309(6)/352/351(2)/351(3) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट व 37(1)/135 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम बनाम 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही थी। विवेचना से तीन अभियुक्त 1–चन्द्रकुमार कनौजिया 2– शोएब उर्फ अख्तर बाबू शेख 3– सोमनाथ यादव प्रकाश में आये थे। जिसमें से अभियुक्त चन्द्र कुमार कनौजिया को स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 11–10–2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुणे पुलिस द्वारा एसटीएफ उ0प्र0 से सहयोग मांगा गया। उक्त के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण व निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 14–10–2024 को निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, सुनील कुमार, आरक्षी किशनचन्द्र व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम पुणे पुलिस के ए0पी0आई0 श्री अमोल रसाड़, पी0एस0आई0 श्री राजेन्द्र पाटोले, ए0एस0आई0 श्री सुनील पवार, हे0कां0 शिनगारे पुलिस बल को साथ लेकर डेज मेडिकल तिराहा थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज से वांछित अभियुक्त शोएब उर्फ अख्तर बाबू शेख को समय 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूँछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त शोएब उर्फ अख्तर बाबू शेख उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला है। दिनांक 03–10–2024 को रात्रि करीब 12 बजे बोपदेव घाटी टेबल प्वाइंट में एक महिला अपने दोस्त के साथ बैठी थी। उसी समय यह अपने साथी चन्द्र कुमार कनौजिया, सोमनाथ यादव के साथ मिलकर महिला व उसके दोस्त से मारपीट करते हुए उनको नीचे ले गये। जहॉ पर लड़की के दोस्त को बेल्ट व उसके पहने हुए कपड़े से बॉध दिये और लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके वहॉ से भाग गये। घटना के बाद से ही इधर–उधर लुक छिपकर रह रहा था। कुछ दिन बाद चन्द्र कुमार कनौजिया के पुलिस द्वारा पकड़े जाने की खबर न्यूज में आने के बाद यह ट्रेन पकड़ कर प्रयागराज भाग आया और लुक छिपकर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त शोएब उर्फ अख्तर बाबू शेख उपरोक्त को थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज में दाखिल किया गया है। पुणे पुलिस महाराष्ट्र द्वारा सम्बन्धित न्यायालय से उक्त अभियुक्त को अपनी अभिरक्षा में पुणे, महाराष्ट्र ले जाने हेतु ट्रांजिट रिमाण्ड की कार्यवाही की जा रही है।

————